मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3/04/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 15 अगस्त, 2014

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन, वाणिज्यिक कर, जेल, परिवहन विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

विषयः– होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों को शासकीय सेवाओं में आरक्षण दिए जाने बावत्।

सन्दर्भः–सा.प्र.वि. का ज्ञाप क्रमांक सी–3/04/2013/1/3, दिनांक 06 मार्च, 2013

विषयान्तर्गत संदर्भित द्वारा वन, वाणिज्यिक कर, जेल, परिवहन विभागों में राज्य मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए वनरक्षक, आरक्षक, आरक्षी एवं आरक्षक पदों की सीधी भरती में 15(पन्द्रह) प्रतिशत आरक्षण रखने के निर्देश दिए गए हैं।

2– राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त उक्त संदर्भित ज्ञापन दिनांक 06 मार्च, 2013 को संशोधित कर यह निर्णय लिया गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए निम्नांकित विभागों में उनके सामने अंकित पदों की सीधी भरती में 15 प्रतिशत के स्थान पर अब 30 प्रतिशत आरक्षण रखा जाए:–

स.क्र.	विभाग	पद
1.	वन विभाग	वनरक्षक
2.	वाणिज्यिक कर विभाग	आरक्षक
3.	जेल विभाग	आरक्षी
4.	परिवहन विभाग	आरक्षक

3– सभी संबंधित विभाग अपने विभागीय भरती नियमों में इस परिपत्र के अनुसार संशोधन करना सुनिश्चित करें।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन

IG (HG)
15.7.2015

पृष्ठां.क. सी–3/64/20043/1503 भोपाल, दिनांक 5 अगस्त, 201

प्रतिलिपि:–

(1) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल
(2) महानिदेशक, नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, म.प्र.
(3) संचालक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग